भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1529

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अवसंरचना और प्राध्यापक पद संबंधी स्थिति

†1529. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी परिसर सुविधाओं, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, डिजिटल अवसंरचना और छात्र सुविधाओं की उपलब्धता सहित अवसंरचना की स्थिति से अवगत है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों और वास्तविक रिक्तियों सहित प्राध्यापक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों के संबंध में ध्यान दिया है और यदि हां, तो इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य, प्राप्त निधि, उत्कृष्टता केंद्रों, सहयोग और डॉक्टरेट नामांकन का आकलन किया है और यदि हां, तो विशेषकर जनजातीय अध्ययन, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय प्रवेश, प्राध्यापक संबंधी भर्ती और कर्मचारी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पूर्ण अनुपालन और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय (सीयूओ) को अपने स्थायी परिसर के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है। पिछले पांच वर्षों में, इसके स्थायी परिसर के निर्माण

के लिए सहायता अनुदान के तौर पर ₹609.71 करोड़ अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निधि के उपयोग के आधार पर ₹189 करोड़ जारी किए गए हैं।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलाप पूरी हो चुकी अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग करके किए जा रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक ब्लॉक, पुस्तकालय भवन, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अतिथिगृह शामिल हैं। विश्वविद्यालय को अपने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम संचालित करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है और इसकी अवसंरचना, संकाय की संख्या और छात्रों की सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

संकाय और गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, विश्वविद्यालय की संविधियों और अध्यादेशों, और लागू नियमों के अनुसार, जब भी रिक्ति उत्पन्न होती है, तब भरी जाती है। केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है। सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय विश्वविद्यालय अपने वैधानिक निकायों जैसे कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और कोर्ट के माध्यम से लिए जाते हैं।

विश्वविद्यालय भारत सरकार के मौजूदा आरक्षण नियमानुसार प्रवेश, संकाय भर्ती और स्टाफ की नियुक्ति में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के नियमों का पालन करता है।

*****